दिनांक 14.07.2022
प्रेस विज्ञप्ति 14/2022

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मैनपुरी/थाना कोतवाली आदि

- **30 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 75 लाख रूपये कीमत की चोरी के 68 दो पहिया वाहन**
- **01 चार पहिया वाहन**
- **07 अवैध तमंचा, 11 जीवित कारतूस बरामद**

थाना कोतवाली, एलाऊ, दन्नाहार, भोगाव, बेबर, किशनी, विछवॉ, कुरावली, घिघोर, औछा, करहल, बरनाहल, कुर्रा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भिन्न भिन्न स्थानों से 30 अभियुक्तों 1—लखन 2—बाबू उर्फ सोनू 3—मनीष उर्फ टिन्नी 4—सत्यम 5—अफरोज अली 6—मुकेश 7—रंजीत 8—बलराम 9—सोहिल 10—सचिन उर्फ पुतैया 11—मनोज 12—रामलखन 13—रामरतन 14—शिवम 15—आर्यन उर्फ अमीन 16—उमेश 17—सूरज प्रताप उर्फ जैकी 18—जोगेन्द्र 19—श्रीकान्त 20—साबित उर्फ बंटू 21—वसीम 22—धर्मेन्द्र कुमार 23—ओंमकार 24—कन्हैया 25—योगेन्द्र 26—धर्मवीर 27—विवेक 28—आकाश 29—अतुल 30—कनक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 75 लाख रूपये कीमत की चोरी के 68 दो पहिया, 01 चार पहिया वाहन, 07 अवैध तमंचा, 11 जीवित, कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिसमें अभियुक्त जोगेन्द्र के विरूद्ध जनपद एटा, मैनपुरी के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी, धोखाधड़ी, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 07 अभियोग व अभियुक्त श्रीकान्त के विरूद्ध जनपद मैनपुरी के थाना कुरावली पर लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 07 अभियोग व अभियुक्त कन्हैया के विरूद्ध जनपद मैनपुरी के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी, लूट, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में जनपद मैनपुरी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—लखन 2—बाबू उर्फ सोनू 3—मनीष उर्फ टिन्नी 4—सत्यम 5—अफरोज अली 6—मुकेश 7—रंजीत 8—बलराम 9—सोहिल 10—सचिन उर्फ पुतैया 11—मनोज 12—रामलखन 13—रामरतन 14—शिवम 15—आर्यन उर्फ अमीन 16—उमेश 17—सूरज प्रताप उर्फ जैकी 18—जोगेन्द्र 19—श्रीकान्त 20—साबित उर्फ बंटू 21—वसीम 22—धर्मेन्द्र कुमार 23—ओंमकार 24—कन्हैया 25—योगेन्द्र 26—धर्मवीर 27—विवेक 28—आकाश 29—अतुल 30—कनक

बरामदगी

1—लगभग 75 लाख रूपये कीमत की चोरी के 68 दो पहिया वाहन।

2—01 चार पहिया वाहन।

3—07 अवैध तमंचा, 11 जीवित कारतूस।

जनपद गाजियाबाद/थाना कविनगर

- **15 हजार रूपये के पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 35 लाख रूपये कीमत की चोरी के 40 दो पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 14.07.2022 को थाना कविनगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बम्हैटा अन्डरपास के निकट सर्विस लेन पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1—आकाश उर्फ गंजा उर्फ सुनील उर्फ जंगली सहित अभियुक्त 2—रवि 3—रोबिन 4—रिंकू 5—मोहसिन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 35 लाख रूपये कीमत की चोरी के 40 दो पहिया वाहन बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिसमें अभियुक्त आकाश उर्फ गंजा उर्फ सुनील उर्फ जंगली के विरूद्ध जनपद मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी, हत्या, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 32 अभियोग, अभियुक्त रवि के विरूद्ध जनपद मेरठ, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, गौतमबुद्धनगर, दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 54 अभियोग, अभियुक्त रोबिन व मोहसिन के विरूद्ध जनपद गाजियाबाद, मेरठ के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त जनपद गाजियाबाद एवं आस—पास के जनपदों से वाहनों की चोरी कर नम्बर प्लेट बदल कर एवं उसके पार्टस अलग अलग करके बेच देते है। गिरफ्तार अभियुक्त जनपद गाजियाबाद थाना कौशाम्बी के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कविनगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—आकाश उर्फ गंजा उर्फ सुनील उर्फ जंगली निवासी गढ़ रोड महूखास थाना मुंडाली जनपद मेरठ।

2—रवि निवासी विजय नगर खुर्जा थाना खुर्जा जनपद बुलन्दशहर।

3—रोबिन निवासी मनोहरपुर कालोनी थाना हस्तिनापुर जनपद मेरठ।

4—रिंकू निवासी मोहकम्मपुर थाना टीपीनगर जनपद मेरठ।

5—मोहसिन निवासी जली कोठी थाना दिल्ली गेट जनपद मेरठ।

<u>बरामदगी</u>

1—लगभग 35 लाख रूपये कीमत की चोरी के 40 दो पहिया वाहन।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना छपार

• चोरी की घटना का अनावरण

• 02 अभियुक्त गिरफ्तार

• लगभग 05 लाख रूपये कीमत की चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण

• 02 मोबाइल फोन

• 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस

• 01 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक 14.07.2022 को थाना छपार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बरला शराब ठेका के पास चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1—आमिर 2—तनजीर को गिरफ्तार कर चोरी की घटना के अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 05 लाख रूपये कीमत की चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण, 02 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 05.06.2022 की रात्रि थाना छपार क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना छपार पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना छपार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—आमिर निवासी बरला थाना छपार जनपद मुजफ्फरनगर।

2—तनजीर निवासी बरला थाना छपार जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1—लगभग 05 लाख रूपये कीमत की चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण।

2—02 मोबाइल फोन।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस।

4—01 मोटर साइकिल।

जनपद गाजीपुर/थाना जंगीपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 11 सोलर पैनल**
- **01 अवैध पिस्टल, 01 मैग्जीन, 01 जीवित, 02 खोखा कारतूस**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 मिस कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर) बरामद**

दिनांक 13.07.2022 को थाना जंगीपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर यादव मोड़ के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त संजीश उर्फ अन्नूराम घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–संदीप कुमार सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 11 सोलर पैनल, 01 अवैध पिस्टल, 01 मैग्जीन, 01 जीवित, 02 खोखा कारतूस, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 मिस कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर) बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त संजीश उर्फ अन्नूराम के विरूद्ध जनपद गाजीपुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग एवं अभियुक्त संदीप कुमार के विरूद्ध जनपद गाजीपुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट के 03 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद सोलर पैनल चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना जंगीपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—संजीश उर्फ अन्नूराम निवासी महुवारी थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर।

2—संदीप कुमार निवासी बोगना थाना मरदह।

बरामदगी

1—चोरी के 11 सोलर पैनल।

2—01 अवैध पिस्टल, 01 मैग्जीन, 01 जीवित, 02 खोखा कारतूस।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 मिस कारतूस।

4—01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)।

जनपद कन्नौज/थाना कोतवाली छिबरामऊ

- **पुलिस कार्यवाही में 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर, 12 जीवित, 07 खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 14.07.2022 को थाना कोतवाली छिबरामऊ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ताजपुर रोड ट्रान्सफार्मर के पास चेकिंग के दौरान पुलिस कार्यवाही में 03 शातिर अभियुक्तों 1—धर्म सिंह उर्फ धर्मा 2—अनुज 3—रिंकू उर्फ राजीव को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 01 मोटर साइकिल, 03 अवैध तमंचा 315 बोर, 12 जीवित, 07 खोखा कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त धर्म सिंह उर्फ धर्मा के विरूद्ध जनपद कन्नौज, फर्रूखाबाद, औरैया, मैनपुरी व कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, कानपुर के विभिन्न थानो में हत्या, हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, चोरी, अपहरण, गैंगेस्टर एक्ट, गुण्डा एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, रासुका, आर्म्स एक्ट आदि के **43 अभियोग**, अभियुक्त अनुज के विरूद्ध जनपद कन्नौज, कमिश्नरेट कानपुर

नगर के विभिन्न थानो में हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, गैंगेस्टर एक्ट, गुण्डा एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के **20 अभियोग** एवं अभियुक्त रिंकू उर्फ राजीव के विरूद्ध जनपद कन्नौज के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद मोटर साइकिल चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली छिबरामऊ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–धर्म सिंह उर्फ धर्मा निवासी उसमानपुर थाना विशुनगढ़ जनपद कन्नौज।

2–अनुज निवासी उसमानपुर थाना विशुनगढ़ जनपद कन्नौज।

3–रिंकू उर्फ राजीव निवासी नया नगला थाना विशुनगढ़ जनपद कन्नौज।

बरामदगी

1–चोरी की 01 मोटर साइकिल।

2–03 अवैध तमंचा 315 बोर, 12 जीवित, 07 खोखा कारतूस आदि।

जनपद बस्ती/थाना हर्रैया

- **03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **51 हजार रूपये नगद**
- **चोरी के विभिन्न बैंको के 25 एटीएम कार्ड, 02 आधार कार्ड, 02 डीएल, श्रम कार्ड, पैन कार्ड**
- **03 मोबाइल फोन**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 13.07.2022 को थाना हर्रैया व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बेलाडे शुक्ल मोड़ के पास चेकिंग के दौरान 03 शातिर अभियुक्तों

1—दुर्गा प्रसाद 2—अवधेश कुमार उर्फ सोनू 3—चांदबाबू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 51 हजार रूपये नगद, चोरी के विभिन्न बैंको के 25 एटीएम कार्ड, 02 आधार कार्ड, 02 डीएल, श्रम कार्ड, पैन कार्ड, 03 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त अवधेश कुमार उर्फ सोनू के विरूद्ध जनपद गोण्डा, बलरामपुर के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी आदि के 05 अभियोग एवं अभियुक्त दुर्गा प्रसाद के विरूद्ध जनपद गोण्डा, अयोध्या, सीतापुर व कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी, एनडीपीएस एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त एटीएम मशीन से पैसा निकालने वालो से बैंक सहकर्मी बताकर धोखे से एटीएम कार्ड बदलकर पैसा निकाल लेते थे।

इस सम्बन्ध में थाना हर्रैया पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—दुर्गा प्रसाद निवासी दुबौली रामचरन थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

2—अवधेश कुमार उर्फ सोनू निवासी दुबौली रामचरन थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

3—चांदबाबू निवासी करोहामान मछली बाजार थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी

1—51 हजार रूपये नगद।

2—चोरी के विभिन्न बैंको के 25 एटीएम कार्ड, 02 आधार कार्ड, 02 डीएल, श्रम कार्ड, पैन कार्ड।

3—03 मोबाइल फोन।

4—01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना बण्डा

- **03 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 40 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 200 ग्राम अवैध स्मैक**
- **03 मोबाइल फोन**
- **01 अल्टो कार बरामद**

दिनांकः 14.07.2022 को थाना बण्डा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मकसूदापुर नहर पुल के पास से 03 अभियुक्तों 1—रोहित कुमार उर्फ हन्नी 2—भवनेश कुमार 3—विशाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 40 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 200 ग्राम अवैध स्मैक, 01 मोबाइल फोन, 01 अल्टो कार बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना बण्डा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रोहित कुमार उर्फ हन्नी निवासी ग्राम गुलडिया थाना मीरगंज जनपद बरेली।

2—भवनेश कुमार निवासी ग्राम जगतपुर पुराना शहर थाना बारादरी जनपद बरेली।

3—विशाल निवासी ग्राम साजनपुर थाना भुता जनपद बरेली।

बरामदगी

1—लगभग 40 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 200 ग्राम अवैध स्मैक।

2— 01 मोबाइल फोन।

3— 01 अल्टो कार।

एस0टी0एफ0—अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सदस्य गिरफ्तार, 12 कुन्तल से अधिक मात्रा में अवैध मादक पदार्थ (गॉजा) बरामद।

दिनांक 14—07—2022 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 41 प्लास्टिक की बोरियों में लगभग 12 कुन्तल से अधिक गॉजा (अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 03 करोड़ रूपये) बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः

1. प्रणवीर सिंह उर्फ प्रेम पुत्र रघुवीर सिंह निवासी ग्राम पिपरामई थाना सादाबाद, हाथरस।
2. रवि कुमार पुत्र वीरपाल सिंह, निवासी ग्राम सहारा खुर्द थाना इगलास अलीगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त से कुल बरामदगीः

1. 12 कुन्तल से अधिक अवैध मादक पदार्थ (गॉजा) (अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 03 करोड़ रूपये)
2. 01 अदद ट्रक आरजे—05, जीए—6581
3. 02 अदद मोबाइल।
4. 02 अदद आधार कार्ड।
5. नगद 2,700/—
6. 02 अदद ड्राइविंग लाइसेन्स।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः

श्रीनगर—कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित बचई टोल प्लाजा, थाना क्षेत्र स्टेशनगंज, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश। दिनांक 14—07—2022

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से उड़ीसा प्रान्त से मथुरा—आगरा व उसके आस—पास के जनपदों में मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले अपराधियों/तस्करों के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों द्वारा अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था।

अभिसूचना संकलन के दौरान मुख्यालय स्थित एक टीम को विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से सूचना मिली कि एक ट्रक आरजे–05, जीए–6581 में भारी मात्रा में गॉजा लेकर उड़ीसा से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के रास्ते आगरा होते हुए मथुरा जायेगा। इस सूचना पर विश्वास करते हुए निरीक्षक श्री ज्ञानेन्द्र कुमार राय के नेतृत्व में उ0नि0 वीरेन्द्र सिंह यादव, मु0आ0 उमाशंकर, शमशेर सिंह, आरक्षी भूपेन्द्र सिंह कमाण्डो सुभाष चन्द्र आरक्षी चालक शैलेन्द्र एस0टी0एफ0 मुख्यालय लखनऊ की एक टीम द्वारा श्रीनगर से कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित बचई टोल प्लाजा थाना क्षेत्र स्टेशनगंज, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश के पास से उक्त ट्रक को रोककर एनसीबी इन्दौर के आसूचना अधिकारी श्री सुनील कुमार वर्मा व उनकी टीम के सहयोग से तलाशी ली गयी, तो उक्त ट्रक के अन्दर जूट की खाली बोरियों के बीच में 41 बोरियों में कुल लगभग 12 कुन्तल से अधिक गॉजा छिपाकर रखा हुआ पाया गया, जिस पर उक्त ट्रक को अवैध मादक पदार्थ (गॉजा) सहित कब्जे में लेकर चालक व उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि यह अवैध मादक पदार्थ (गॉजा) उड़ीसा राज्य के सोनपुर जनपद के जंगल क्षेत्र से आकाश सिंह पुत्र बिट्टू सिंह नि0 कौरा, थाना जगदीशपुर, जनपद भोजपुर, (बिहार) द्वारा भेजा गया था। आकाश सिंह के पिता बिट्टू सिंह पुत्र जयनन्दन सिंह वर्तमान समय में अवैध मादक पदार्थ (गॉजा) की तस्करी करने के अपराध में बिहार राज्य के आरा जेल में निरूद्ध है। बिट्टू सिंह जेल जाने के बाद मादक पदार्थ की तस्करी करने का काम अपने पुत्र आकाश के माध्यम से करा रहा है। यह गॉजा मथुरा निवासी बाबा को आगरा–भरतपुर बार्डर पर देना था। इस गिरोह द्वारा उत्तर प्रदेश के आगरा–मथुरा व आस पास के जनपदो के साथ–साथ राजस्थान राज्य के सीमावर्ती जनपदों में भी फुटकर में गॉजा सप्लाई किया जाता है। इस गिरोह के विरूद्ध पूर्व से थाना–जगनेर, थाना–बाह, जनपद–आगरा, थाना–कोतवाली नगर, जनपद–ललितपुर एवं एनसीबी लखनऊ में अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध एनसीबी इन्दौर द्वारा अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विविध कार्यवाही की जायेगी।

——————————